Faridabad Plot Built Properties in all Sectors
SYNDICATE
ESTATE AGENCY
Ind. Plot no. 11, Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288
[illegible]

मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक
नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES
(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa
24, Hours Service
Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 22 अंक 28 शुक्रवार, फरीदाबाद, 1-15 जनवरी, 2010 फोन : - 9999595632 सहयोग राशि 1 रुपया

आपराधिक न्याय व्यवस्था का निकला जनाज़ा

बर्बाद हुआ रुचिका परिवार और व्यवस्था की खिल्ली उड़ाता राठौर

पंचकूला (म.मो.) गत 19 वर्षों में रुचिका गिरहोत्रा परिवार के पूरी तरह बर्बाद होने के बाद हरियाणा के पूर्व डीजीपी शंभू प्रताप सिंह राठौड़ को मिली छः माह की सज़ा की जगह यदि उसे उम्र कैद या फांसी की सज़ा भी मिले तो थोड़ी ही रहेगी। इसके विपरीत घटना (रुचिका की शिकायत) के तुरंत बाद यदि राठौर को छः दिन की भी सज़ा-ए-कैद हो जाती तो पर्याप्त होती।

वर्ष 1990 में बतौर एक स्कूली छात्रा 15 वर्षीय रुचिका जब लॉन टेनिस की एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर थी तो इस खेल की राज्य इकाई के प्रधान राठौर की नज़र न केवल उसे खा गई, बल्कि उसके सारे परिवार को ही उजाड़ दिया। विदित हो कि तमाम खेल इकाइयों व फ़ेडरेशनों आदि के प्रधान बड़े सरकारी अफ़सर एवं राजनेता होते हैं। जैसे कि चंद माह पहले क्रिकेट के केंद्रीय मंत्री शरद पवार। उस वक्त हरियाणा पुलिस के डीआईजी तथा राज्य लॉन टेनिस संघ के अध्यक्ष राठौर ने रुचिका के साथ छेड़खानी की थी तो उसी वक्त उसकी शिकायत का संज्ञान लिया जाना चाहिए था। यदि देश की न्याय व्यवस्था इतनी सड़ी-गली व नाकारा न होती तो उसी वक्त उसकी शिकायत का संज्ञान ले लिया होता और राठौर को किसी साधारण अपराधी की भांति बुक कर लिया जाता तथा चार-पांच माह में मुकदमे का निपटारा करके जो सज़ा इसे आज मिली है, उसका दसवां या बीसवां हिस्सा भी उस वक्त मिल जाता तो रुचिका को बदनाम हो कर स्कूल से न निकलना पड़ता, उसके हमउम्र भाई आशु को झूठे मुकदमों में न लपेटा जाता, उसकी थानों में बेरहमी से पिटाइयां न होती, इस सबसे तंग आकर रुचिका को आत्महत्या न करनी

मौत के बाद भी जंग जारी है।

हम कानून के नहीं कानून हमारा गुलाम है

पड़ती, उसके पिता को अपना मकान कौड़ियों के मोल बेच कर हरियाणा से भाग कर हिमाचल प्रदेश में न बसना पड़ता, क्योंकि त्वरित कार्यवाही के चलते राठौर को नौकरी से भी फ़ारिग कर दिया जाता।

इस सारे कांड के लिए अकेले राठौर को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उस वक्त के मुख्यमंत्री मास्टर हुकुम सिंह (जो वास्तव में चौटाला की कठपुतली थे), उनके बाद आये भजनलाल, बंसीलाल व स्वयं चौटाला तो पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं ही, साथ में चुपचाप तमाशाई बने अन्य सत्तारूढ़ नेता तथा वे पुलिस अधिकारी भी किसी तरह से कम ज़िम्मेदार नहीं हैं जिन्होंने राठौर के इशारे पर रुचिका परिवार पर, कानून एवं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अत्याचार किये। अंबाला के तत्कालीन एस पी के.पी.सिंह ने राठौर के कहने पर ही रुचिका के भाई आशू पर छः झूठे मुकदमे बना कर महीनों जेल में रखने के अलावा कई-कई दिनों तक नाजायज़ पुलिस हिरासत में रख कर भयंकर यातनायें दी थी। बेशक यातनायें देने व झूठे मुकदमे दर्ज करने वाले पुलिसकर्मी थानेदार व सिपाही स्तर के थे, उनमें इतनी मजबूती व हिम्मत नहीं थी कि वे एसपी के हुक्म की अवहेलना कर सकते। जाहिर है, उनकी अपनी कुछ कमज़ोरियां व लालच भी रहे होंगे, लेकिन एसपी जो कि एक आईपीएस स्तर का अधिकारी होता है, उसके द्वारा राठौर जैसे पागल व्यक्ति के इशारों पर नाचना क्या दर्शाता है? खास तौर पर जब राज्य पुलिस का तत्कालीन प्रमुख आर. आर. सिंह राठौर के विरुद्ध कार्यवाही की सिफ़ारिश कर रहा हो। यही कि वह उससे भी बड़ा पागल है। अपनी पुलिस शक्तियों के नशे में चूर इन अफ़सरों ने मदमस्त हाथियों की तरह तांडव कर के एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया और वह भी कोई दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, बल्कि राज्य की राजधानी की नाक के ठीक नीचे। -शेष पेज 2 पर

अपने वक्त का महामूर्ख एवं दंभी एसपीएस राठौर

भारत सरकार द्वारा आईएएस व आईपीएस जैसी उच्चतम सेवाओं के लिए योग्य व्यक्तियों के चयन के लिए संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है जिसका दायित्व है कि वह देश के बढ़िया से बढ़िया लोग़ों को चुन कर इस सेवा में लाये। उसी आयोग ने यह नायाब 'हीरा' चुन कर हरियाणा के मत्थे मढ़ दिया है। इसकी मूर्खता एवं दम्भ के इतने किस्से हैं कि पूरी किताब लिखी जा सकती है। यहां केवल बानगी के तौर पर तीन किस्से प्रस्तुत हैं:

एसपीएस राठौर जब कुरुक्षेत्र में तैनात था तो उनकी सरकारी एम्बेसडर का रंग काला था। उस वक्त इत्तफ़ाक से शहर में एक और काली कार कोई नागरिक ले आया। राठौर ने वह काली कार शहर में रहने नहीं दी, क्योंकि उनके अनुसार एक शहर में दो काली कारें कैसे रह सकती हैं। सुधी पाठकों को यह बताने की जरूरत नहीं कि दूसरी काली कार को खदेड़ने के लिए उसने क्या-क्या नहीं किया होगा।

कुछ सरकारों ने इनके दिमाग़ी हालत को देखते हुए इन्हें हमेशा होमगार्ड जैसे नाकारा महकमों में रख कर ही काम चलाया।

अपनी रोहतक तैनाती के दौरान इसने अपनी (सरकारी) कोठी में एक रात उल्लू बैठा देख लिया। पास खड़े किसी चापलूस ने कह दिया कि साहब यह तो बड़ा भारी अपशकुन हो गया। राठौर ने एसएचओ को तलब कर के उस उल्लू को गिरफ़्तार करने का आदेश दिया। एसएचओ भी कलाकार था, बोला-जनाब अभी लो। यह कह कर वह उल्लू के पीछे लग गया। उल्लू कहां हाथ आने वाला था। लेकिन सुबह होते-होते वह एसएचओ पिंजराबंद एक उल्लू कहीं से पकड़ लाया। राठौर के आदेश पर उल्लू को हवालात में बंद कर दिया गया। करीब एक सप्ताह के बाद जब वह मर गया तो पूरे रीति-रिवाज से उसकी शवयात्रा निकाली गई, दफ़नाने वक्त उसको सलामी गार्द द्वारा बाकायदा सलामी दी गई।

राठौर के एक बड़े भाई इससे दो बैच सीनियर थे जो उस वक्त राजस्थान में डीआईजी थे। एक दिन भाई से मिलने आ पहुंचे। अर्दली ने भीतर जा कर कहा कि कोई राठौर साहब आये हैं। जवाब में शम्भू प्रताप ने फ़र्माया कि राठौर तो एक ही हो सकता है दूसरा नहीं, भगा दो उसे। अर्दली ने बाहर जा कर बड़े भाई साहब को जो बताया तो वे गुस्से में पांव पटकते अपनी गाड़ी में सवार हो कर चल दिये, क्योंकि भाई तो वे भी राठौर के ही थे। दो-चार मिनट बाद जब शम्भू प्रताप को कुछ ख्याल आया तो उसने अर्दली से पूरी बात पूछी और समझी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एसपीएस राठौर की सारी नौकरी इस तरह किस्सों से भरी पड़ी है। यदि कोई जनहितैषी एवं संवेदनशील सरकार होती तो इन्हें नौकरी से फ़ारिग कर देती। हां, कुछ सरकारों ने इनकी दिमाग़ी हालत को देखते हुए इन्हें हमेशा होमगार्ड जैसे नाकारा महकमों में रख कर ही काम चलाया। लेकिन चौटालों जैसे हुक्मरानों को ऐसे सनकी अथवा मूर्ख लोग़ कुछ ज़्यादा ही रास आते हैं। ■

इतनी हास्यास्पद भी हो सकती है हाई कोर्ट!

पहले तो जमानत दी, अब सीबीआई से रद्द कराने की मांग कर रही है

चंडीगढ़ (म.मो.) सच्चा सौदा गिरोह के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अग्रिम व बाद में नियमित जमानत प्रदान करने वाली हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को फटकारते हुए कहा कि वे गुरमीत की जमानत रद्द कराने के लिये याचिका क्यों नहीं दायर कर रहे?

डेरा सच्चा सौदा के एक प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या का एक मामला थानेसर पुलिस ने दर्ज किया था। इसमें अवतार सिंह व कुछ अन्य आरोपी 6 नवम्बर 2006 से ही अम्बाला की जेल में बंद है। अपनी जमानत याचिका में अवतार सिंह ने मुद्दा उठाया कि जब असली आरोपी गुरमीत की जमानत हो सकती है तो उसकी क्यों नहीं?

विदित है कि यह मामला हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश विजेन्द्र कुमार जैन की कृपा से न्यायाधीश एल.एन.मित्तल की अदालत में लगा था और इन्होंने गुरमीत की अग्रिम जमानत याचिका, थोड़ी नाटकबाज़ी के बाद मंजूर कर ली थी। इसी आधार पर, जब गुरमीत सीबीआई कोर्ट में पेश हुआ तो उसकी नियमित जमानत भी मंजूर कर ली गयी। मित्तल द्वारा मंजूर की गयी इस जमानत को लेकर हाई कोर्ट बार में भी कई दिन काफ़ी हो-हल्ला तथा 'लेन-देन' की चर्चाओं का बाज़ार गर्म रहा था। असल में चर्चा तो उसी वक्त शुरू हो गया था जब यह केस मित्तल की अदालत में लगा था।

पीड़ित (रणजीत) पक्ष द्वारा हरियाणा पुलिस पर मामले की तफ़तीश में ढिलाई बरतने की शिकायत पर इसी हाई कोर्ट ने तफ़तीश सीबीआई के हवाले करने के आदेश तो दिये ही थे, साथ में सीबीआई द्वारा की जाने वाली तफ़तीश की मानिटरिंग एवं निगरानी भी अपने हाथ में ले ली थी। बार के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि इसी निगरानी के दौरान एक तत्कालीन जज ने सीबीआई के वकील को बार-बार बुला कर मामले को रद्द कर देने या गुरमीत को राहत देने की बात कही थी, जिसे सीबीआई ने मानने से इन्कार कर दिया और बाकायदा सही ढंग से चालान कोर्ट में पेश कर दिया।

हरियाणा पुलिस बेईमान थी तो केस सीबीआई को दे दिया, सीबीआई काम ठीक से करे, इसके लिये हाई कोर्ट निगरानी करे और जब हाई कोर्ट का ही हाल बेहाल हो जाये तो पीड़ित कहां जाये? सुप्रीम कोर्ट। वे इनसे भी बढ़-चढ़ कर हैं। यहां महत्त्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि यदि गुरमीत की जमानत ग़लत हो गई है तो इसके लिए सीबीआई पर सवार होने की बजाये -शेष पेज 2 पर

इसे मीडिया ट्रायल कहें या पब्लिक ट्रायल

अब शिकंजे में कसे जाने के बाद राठौर तथा उनकी वकील पत्नी आभा राठौर कह रहे हैं कि वे 19 साल मुकदमा लड़ने के बाद न्याय-प्रक्रिया से तो 'सज़ा' पा ही चुके थे, अब जो उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, वह मीडिया ट्रायल की वजह से है। इसे मीडिया ट्रायल की बजाय जनता ट्रायल कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। जाहिर है, राठौरों को जनता ट्रायल कैसे भा सकता है जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने हो रहा है। इन्हें तो वही ट्रायल भा सकता है जिसमें एक बच्ची द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर अपनी जान से हाथ धोना पड़े और पूरा परिवार तक भी तबाह हो जाने के बाद सज़ा के नाम पर ऐसी सज़ा मिले जिसका वह मज़ाक उड़ाता हुआ कोर्ट से बाहर निकले।

यदि राठौरों को बढ़िया लगने वाली यह गली-सड़ी न्याय व्यवस्था सही ढंग से न्याय करती तो इस पब्लिक ट्रायल की जरूरत ही क्यों पड़ती? फ़िर इस ट्रायल से राठौर को परेशानी क्यों है? कानून, कायदे, पुलिस व कचहरी तो सब वही हैं, नया तो कुछ बना नहीं। उन्हें भीड़ ने घेरा नहीं, मारा नहीं, उनका घर नहीं फूंका, उनके साथ कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। यदि राठौर को अपने में सच्चाई नज़र आती है तो वह उसी न्याय-प्रक्रिया में से दोबारा गुज़रने से घबराता क्यों है? यदि वह सच्चा हुआ तो हो सकता है बिल्कुल बरी हो जाये। ■